भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1700

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

शाहजहांपुर में अटल पेंशन योजना के लाभार्थी

1700. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अटल पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश विशेषकर शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र के लोग भी उक्त योजना से लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ सभी भारतीयों विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सर्व-सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 09.05.2015 को किया गया था। यह योजना बैंक अथवा डाक-घर में बचत बैंक खाता रखने वाले 18-40 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता को चुनी हुई पेंशन की राशि और योजना में शामिल होने की आयु के आधार पर निर्धारित राशि मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर अंशदान करना अपेक्षित है। अभिदाता चुने हुए अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के पश्चात् मृत्यु तक 1000 रुपए प्रति माह, 2000 रुपए प्रति माह, 3000 रुपए प्रति माह, 4000 रुपए प्रति माह अथवा 5000 रुपए प्रति माह की सरकारी गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा। अभिदाता की मृत्यु के पश्चात् अभिदाता के पति/पत्नी उसके समान ही पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। अभिदाता और उसके पति/पत्नी, दोनों, की मृत्यु के पश्चात् अभिदाता का नामिती अभिदाता द्वारा 60 वर्ष की आयु तक संचित की गई पेंशन धनराशि को प्राप्त करने का पात्र होगा।

इस योजना के अनुसार, अभिदाता 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए, एपीवाई के अंतर्गत वर्ष 2035 से पेंशन लाभ आरंभ होना अपेक्षित है।

इस योजना के आरंभ होने के बाद से दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एपीवाई के अंतर्गत कुल सकल नामांकन 1,18,79,648 है और शाहजहांपुर जिले में 1,96,304 है।

*****